राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (82) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर/करौली/2015–16 जयपुर, दि. 11 सितम्बर, 2017

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्धारण समिति,
जिला परिषद्, करौली।

विषय :– जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित अर्द्धकुशल श्रमिक की दर रू. 400 प्रतिदिन के संबंध में।

प्रसंग :– जिला दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02.08.2017 का जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक 246 दिनांक 21.08.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अर्द्धकुशल श्रमिक की दर रू. 400 प्रतिदिन जिले की सभी 6 पंचायत समितियों के लिए प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण/पत्र द्वारा अनुमोदित की गई है, जो विभागीय निर्देशों के विपरीत है।

इस संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(263) ग्राविं/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ई.ओ. नं. 92275 दिनांक 13.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को छोड़कर शेष सभी विभागीय योजनाओं के लिए कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन बाबत् **सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रभावी अधिकतम दर रू. 300 तक की सीमा में अर्द्धकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली दर एवं उक्तानुसार समानुपातिक टास्क का जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित करने बाबत् निर्देशित किया गया है।**

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद् द्वारा उक्त समिति की बैठक के समक्ष विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लेख नहीं करते हुए अनुचित दरों का अनुमोदन कराया गया है, जो कि विभागीय निर्देशों के विपरीत एवं खेदजनक है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय पत्र दिनांक 13.04.2017 में निर्धारित की गई अर्द्धकुशल श्रमिकों की दर राशि रू. 300/– की सीमा में ही निर्धारित कर दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

11/9/17
(रोहित कुमार)
शासन सचिव (ग्राविं)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्धारण समिति, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त, राजस्थान।
4. अधिशाषी अभियंता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद्, समस्त, राज.।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)